न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज [illegible]	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
13.01.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नही लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पत्रावली दिनांक 17.01.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
17.01.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। निर्णयानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:45:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
61 / 2024	2024 / 231	04.07.2024	17.01.2025

उनवान प्रकरण

1. धर्मपाल यादव पुत्र प्रहलाद यादव जाति अहीर निवासी ग्राम सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना
2. सुमन कंवर पत्नी भवानीसिंह राजपूत निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

——प्रार्थीगण

बनाम्

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना
2. अंजू देवी पुत्री नन्दलाल
3. कमली देवी पुत्री सुरजा
4. कैलाश चन्द्र पुत्र सुरजा
5. केशरी देवी पत्नी स्व. सुरजा
6. कृष्ण पुत्र भगवानसहाय
7. कोयली देवी पुत्री भगवानसहाय
8. कोयली देवी पुत्री हनुमानसहाय
9. खेमचन्द पुत्र नन्दलाल
10. गिरधारी पुत्र हनुमानसहाय
11. जगदीश पुत्र गो[illegible] के [illegible]

11/1 गंगा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:45:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

11 / 2 पवन पुत्र स्व. जगदीश

11 / 3 विक्रम पुत्र स्व. जगदीश

11 / 4 मोहन पुत्र स्व. जगदीश

11 / 5 चावली देवी पुत्री स्व. जगदीश

12. जुगलकिशोर पुत्र नन्दलाल

13. तीजा देवी पुत्री छोटू

14. दानाराम पुत्र सुरजा

15. **दिलीपचन्द पुत्र ग्यारसीलाल मृत्तक के बजाय**

15 / 1 माली देवी पत्नी स्व. दिलीपचन्द

15 / 2 मक्खनलाल पुत्र स्व. दिलीपचन्द

15 / 3 मदनलाल पुत्र स्व. दिलीपचन्द

15 / 4 प्रेम देवी पुत्री स्व. दिलीपचन्द

15 / 5 घोटी देवी पुत्री स्व. दिलीपचन्द

15 / 6 आंची देवी पुत्री स्व. दिलीपचन्द

समस्त जाति रैगर निवासीगण ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान .

16. नेना देवी पुत्री हनुमानसहाय

17. नाथी देवी पुत्री सुरजा

18. पतासी पुत्री गंगाराम

19. पतासी पुत्री गोपी

20. पतासी देवी पुत्री श्यामलाल

21. **पन्नालाल पुत्र गंगाराम मृत्तक के बजाय**

21 / 1 सुमित्रा देवी पत्नी स्व. पन्नालाल

21 / 2 बलबीर पुत्र स्व. पन्नालाल

21 / 3 दिलीप पुत्र स्व. पन्नालाल

21 / 4 सुशीला पुत्री स्व. पन्नालाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:45:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

21/5 अनिता पुत्री स्व. पन्नालाल

22. प्रकाशचन्द पुत्र श्यामलाल

23. परती देवी पत्नी स्व. नन्दलाल

24. प्रेमचन्द पुत्र नन्दलाल

25. प्रहलाद सहाय पुत्र सुरजा

26. पुष्पा देवी पुत्री नन्दलाल

27. फूलचन्द पुत्र गोपी

28. बनवारी पुत्र गंगाराम

29. भगवती देवी पुत्री हनुमानसहाय

30. **भगवान सहाय पुत्र गोपी मृत्तक के बजाय :–**

30/1 मोहनी देवी पत्नी स्व. भगवानसहाय

30/2 बनवारी पुत्र स्व. भगवानसहाय

30/3 पिन्टू पुत्र स्व. भगवानसहाय

30/4 रोहिताश पुत्र स्व. भगवानसहाय

30/5 विमला पुत्री स्व. भगवानसहाय

31. भीवाराम पुत्र सुरजा

32. भींवाराम पुत्र हनुमानसहाय

33. मदनलाल पुत्र श्यामलाल

34. मनभरी देवी पत्नी स्व. श्यामलाल

35. महावीर पुत्र नन्दलाल

36. मीरा पत्नी बिरदीचन्द

37. मीरा देवी पुत्री गंगाराम

38. मोहनी देवी पुत्री श्यामलाल

39. मोहरी देवी पुत्री सुरजा

40. रूपचन्द पुत्र गंगाराम

41. रमेशचन्द पुत्र सुरजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:45:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

42. रामचन्द पुत्र गोपी

43. रामपाल पुत्र छोटू

44. **रामली देवी स्व. गोपी (नाम हजफ किया गया)**

45. रोहित पुत्र भगवानसहाय

46. रोहिताश पुत्र मगाराम

47. लालचन्द पुत्र बिरदीचन्द

48. विद्या देवी पुत्री सुरजा

49. विवेक पुत्र भगवानसहाय

50. श्रवण पुत्र गोपी

51. सेडी देवी पुत्री छोटू

52. सुनील पुत्र नन्दलाल

53. सुभाषचन्द पुत्र सुरजा

54. सुमित्रा पत्नी स्व. भगवानसहाय

55. सुरेश पुत्र बिरदीचन्द

56. सरोज देवी पुत्री नन्दलाल

57. सारली पुत्री ग्यारसीलाल

58. सावित्री देवी पुत्री नन्दलाल

59. हरदेव पुत्र हनुमानसहाय

समस्त जाति रैगर निवासीगण ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

60. सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत झाड़ली

——अप्रार्थीगण

उपस्थित :—

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 – प्रार्थीगण की ओर से।

श्री जगदीश प्रसाद गूर्जर, एड0 – अप्रार्थीगण सं. 4, 11 / 1 से 11 / 5, 14, 25, 27, 30 / 2 से 30 / 4, 31, 41, 50, 53 की ओर से।

श्री कानाराम पूनियॉ, एड0 – अप्रार्थी सं. 60 की ओर से।

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी ... की ओर से

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:45:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 4574, 4575, 4576, 4577 कुल किता 4 कुल रकबा 1.01 हैक्टर तन् ग्राम झाड़ली पटवार हल्का झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है, जिसके प्रार्थीगण बराबर बराबर हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमियों का सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रंमाक भू. अभि./23/1645–48 दिनांक 20.09.2023 व तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रंमाक भू. अ./23/1783–86 दिनांक 04.10.2023 की पालना में पटवार हल्का झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के द्वारा विधिवत रूपेण सीमाज्ञान दिनांक 05.10.2023 को करवाया जा चुका है। फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित भूमियो की विधिवत रूपेण पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। मौके पर कोई फसल काश्त की हुयी नही है। पड़ौसी खातेदारान प्रार्थीगण को अनायास ही हैरान–परेशान करते रहते है एंव सीमा चिन्हो को नष्ट कर खुर्द–बुर्द करने एंव प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा रहते है जो कि काफी झगड़ालू किश्म के व्यक्ति है। उक्त लोग कहने–सुनने समझाने से मान नही रही है। इसलिये प्रार्थीगण की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी पेश कर अपनी खातेदारी एंव कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 4574, 4575, 4576, 4577 कुल किता 4 कुल रकबा 1.01 हैक्टर तन् ग्राम झाड़ली पटवार हल्का झाड़ली तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:45:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) की पत्थरगढ़ी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार किये जाने का निवेदन प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2046/भू.अ./24 दिनांक 12.09.2024 के द्वारा प्राप्त होने पर वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बरान के पडौसी खातेदारान् को जमाबन्दी अनुसार आवश्यक पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थीगण को हिदायत दी जाने पर वकील प्रार्थीगण ने संशोधित शीर्षक पेश किया। प्रकरण में अप्रार्थीगण सं. 4, 11/1 से 11/5, 14, 25, 27, 30/2 से 30/4, 31, 41, 50, 53 की ओर से श्री जगदीश प्रसाद गूर्जर एडवोकेट ने एंव अप्रार्थी संख्या 60 की ओर से श्री कानाराम पूनियॉ एड0 ने वकालतनामे पेश किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 22 की नोटिस तामील असालतन होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 22 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 28 व 30 के नोटिस पर फौत होने की रिपोर्ट आने व वकील अप्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 11, 15, 21 व 44 का फौत होना जाहिर किये जाने पर इनके कायममुकामान की कार्यवाही की जाकर इनके वारिसान् को रिकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3, 5 लगायत 10, 12, 13, 15/1 से 15/6, 16 लगायत 20, 21/1 लगायत 21/5, 22 से 24, 26, 28, 29, 30/1, 30/5, 32 लगायत 40, 42, 43, 45 से 49, 51, 52, 54 से 59 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 44 का देहान्त हो जाने तथा इसके वारिसान् पूर्व से रिकार्ड पर होने से अप्रार्थी संख्या 44 का नाम हजफ किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद गूर्जर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश किया गया। जिसका वकील प्रार्थीगण ने जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:45:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पेश नहीं कर सीधे ही बहस ही बहस सुने जाने का निवेदन किये जाने पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी जाने के उपरान्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का खारिज किया गया। वकील अप्रार्थीगण श्री जे.पी. गुर्जर एड0 को कोर्ट समाप्ति तक बार– बार आवाज दिलवाई जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर वकील अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 4, 14, 25, 31, 41, 53 व अप्रार्थी संख्या 11 के कायम मुकामान् अप्रार्थीगण संख्या 11/1 से 11/5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र पत्थरगढी व जवाब दरख्वास्त कायम मुकामी का जवाब दिये जाने का अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र पत्थरगढी व जवाब दरख्वास्त कायम मुकामी का पेश नहीं करने पर अप्रार्थीगण का जवाब देही का अवसर बन्द किया जाता है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायम मुकामान् व जवाब दरख्वास्त बाबत नाम हजफ किये जाने के प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर वकील अप्रार्थीगण श्री कानाराम पूनियां एड0 ने दोनों प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किये जाने पर उक्त दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है तथा मृत्तक अप्रार्थीगणों के कायम मुकाम के वारिसान् को रिकार्ड पर लिया जाता है तथा अप्रार्थीया संख्या 44 के वारिसान् के पूर्व रिकार्ड पर उपलब्ध होने से मृत्तक अप्रार्थी संख्या 44 का नाम हजफ किया गया।

प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने वकील अप्रार्थी के द्वारा प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी पेश नहीं करने पर वकील प्रार्थीगण ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। प्रकरण में दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया कि पत्थरगढी करवाये जाने वाले खसरा नम्बरान् की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण के द्वारा [illegible] में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 4574, 4575, 4576, 4577 कुल किता 4 [illegible] 01 [illegible] तन ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर के प्रार्थीगण बराबर–[illegible] दर्ज खातेदार काश्तकार होने से पत्थरगढी करवानी चाही है। उक्त वर्णित भूमियों [illegible] सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:45:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

के आदेश क्रमांक/भू.अ./23/1645-48 दिनांक 26.09.2023 की पालना में पटवारी हल्का झाडली द्वारा दिनांक 05.10.2023 को करवाया जा चुका है। उक्त पत्थरगढ़ी करवाये जाने वाली भूमियों पर मौके पर कोई फसल काश्त नहीं की हुई है। उक्त भूमियो के पडोसी खातेदारान प्रार्थीगण को अनायास ही हैरान परेशान करते रहते है तथा सीमा चिन्हों को नष्ट कर खुर्द-बुर्द करने एवं प्रार्थीगण की भूमियों पर कब्जा काश्त करने पर आमादा रहते है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमियों के पडौसी भूमियों में खसरा नम्बर 4559, 4560, 4561, 4562 में आबादी बसी होने तथा उक्त भूमियाँ वादग्रस्त आराजी भूमियों के चारों ओर अवस्थित होने से अप्रार्थीगण एवं सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत झाड़ली को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त आराजी भूमियों से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण के द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों की ही पत्थरगढी चाही गई है। जिससे अप्रार्थीगण संख्या 2 से 59 का कोई संबध या सरोकार किसी किस्म का नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमियों के पड़ौसी सींव जोड़ खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमियों की ही पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण के द्वारा अपनी बहस में किया है। वही वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस अवगत कराया कि प्रार्थीगण द्वारा करवाई जाने वाली पत्थरगढी के अप्रार्थीगण पडौसी खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमियों के पडोस में उत्तरी पूर्वी साईड में आवादी के खसरा नम्बर होकर अप्रार्थीगण के बाडा, आवास आदि पट्टे जारी होने तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत के द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को बसावट हेतु पट्ट जारी होने से अप्रार्थीगण उक्त भूमियों पर निवास कर रहे है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण का उनके कब्जे से मौके पर बेदखल करने पर उतारू हो रहे है। प्रार्थीगण के द्वारा केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये पत्थरगढी के सम्बन्ध में वकील अप्रार्थीगण ने पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:45:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

हमने पक्षकारान एवम् अधिवक्तागण की बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर गम्भीर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 4574, 4575, 4576, 4577 कुल किता 4 कुल रकबा 1.01 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर बराबर–बराबर हिस्से पर काबिज होना प्रकट होता है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी भूमियो के सटाकर खसरा नम्बर 4574 के उत्तरी पूर्वी सीमा की तरफ खसरा नम्बर 4559, 4560, 4561, 4562 मे आबादी भूमि होकर इसका आवंटन ग्राम पंचायत झाडली के नाम नामान्तकरण दर्ज होना तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा भूमिहीन व्यक्तियो को आबादी भूमि के पट्टे जारी किया जाना प्रकट होता है। उक्त वर्णित भूमियो का सीमाज्ञान प्रार्थीगण के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का झाडली के द्वारा दिनांक 05.10.2023 को करवाया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण मे विवादित भूमियो का सीमाज्ञान दिनांक 05.10.2023 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक/भू.अ./23/1645–48 दिनांक 20.09.2023 की अनुपालना में विधिवत तरीके से पटवारी हल्का झाडली के द्वारा किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी मे दर्ज भूमियो का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपयुक्त रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:45:16 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का झाडली द्वारा दिनांक 05.10.2023 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 4574, 4575, 4576, 4577 कुल किता 4 कुल रकबा 1.01 हैक्टर तन् ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/- रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/- रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/-रूपये कुल 2100/- रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पटवारी हल्का झाड़ली द्वारा दिनांक 05.10.2023 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:45:16
Reason: SelfAttested